रास्ते को . . .

श्री सभापति : आप डिसकशन के लिए नोटिस दे दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हम नोटिस दे देंगे, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, माननीय लालू प्रसाद जी एक घंटे के लिए कह रहे हैं, इसलिए इस पर थोड़ी विशेष अनुकम्पा की आवश्यकता है।

Upgradation of Bhopal and Raipur Airports

*22. SHRI KAILASH JOSHI : Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to upgrade Bhopal and Raipur Airports;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any amount has been earmarked for the purpose; and if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

There is a proposal to extend the runways of Bhopal and Raipur Airports to 7500 feet to make them suitable for operation of AB-320 class of aircraft. The respective State Governments have been informed that this can be done only if they acquire necessary land and hand over the same to Airports Authority of India (AAI). The State Government of Chhattisgarh, however, wants the runway of Raipur Airport to be extended upto 10,500 feet. The land requirement for this has been projected to the State Government.

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि भोपाल और रायपुर दोनों विमान तलों के रनवे को 7500 फुट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि भोपाल लगभग 1800 फुट समुद्र तल से ऊंचाई पर है और भोपाल में भी और रायपुर में भी, दोनों जगह 45 अंश सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, इसलिए दोनों विमान तलों पर अपेक्षाकृत बड़े रनवे की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इनकी चौड़ाई 9500 फुट करने के बारे में विचार करेंगे ?

1714 GIPMR/2003—2

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी, भोपाल और रायपुर में जो रनवे है, वह 6400 फुट का है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमें लिखा है, वहां पर आर्मी की ज़मीन है और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। राज्य सरकार की भी ज़मीन है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही यह ज़मीन दे देंगे। जैसे ही यह ज़मीन हमें मिलेगी, भोपाल का जो रनवे है, उसको 7500 फुट बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास है और रायपुर के रनवे के लिए वहां के मुख्य मंत्री ने हमें पत्र लिखा है और वे यह चाहते हैं कि इसकी लंबाई 10500 फुट की जाए। इसके लिए हमें 300 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है और जब हम नए एयरपोर्ट बनाते हैं तो लैंड राज्य सरकार को ही देनी होती है। इसलिए हमने उनसे कहा है और वे इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लैंड जल्द ही मिल जाएगी और हम रनवे को बढ़ाएंगे ।

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि राज्य सरकार से चर्चा चल रही है। वहां के जिला प्रशासन ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा कर ली थी और उस चर्चा में यह तय हो गया है कि जो भूमि सेना की है, वह भूमि सेना देने को तैयार है और राज्य सरकार बदले में सेना को अतिरिक्त भूमि देने को तैयार है। दोनों के प्रोपोजल यहां आ चुके हैं। क्या आप मुझे यह बताएंगे कि कब तक इसका निराकरण कर लिया जाएगा ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, जहां तक भूमि को एक्वायर करने का सवाल है, यह राज्य सरकार को करना है और आर्मी की भी जमीन है। आर्मी ने हमें यह कहा है कि उसके बदले में वे जमीन चाहते हैं। एयरपोर्ट अथोरिटी की भी कुछ जमीन है, जो हम आर्मी को देना चाहते हैं और कुछ राज्य सरकार से जमीन लेंगे। इसके लिए हमारे पास वह प्रोपोजल अभी नहीं आया है। जैसे ही वहां से जमीन एक्वायर होकर प्रोपोजल आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाश जोशी : सभापति जी, एक और क्वेश्चन है।

श्री सभापति : आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपके दोनों सवाल हो गए हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भोपाल और रायपुर के रनवे को बढ़ाने का निर्णय काफी पहले हो चुका था। ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त भी हुए हैं लेकिन अभी भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों रनवे जिसके लिए माननीय जोशी जी ने सात हजार पांच सौ फुट तक बढ़ाने के लिए कहा है और नौ हजार पांच सौ व दस हजार पांच सौ, रायपुर में वहां के मुख्य मंत्री से कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रनवे को बढ़ाने के लिए किसी धनराशि के आबंटन का विचार किया है ?

महोदय रायपुर और भोपाल के बीच में हवाई सेवा का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। चूंकि यह

प्रश्न भोपाल और रायपुर हवाई पट्टी से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसके बारे में भी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति जी, राज्य सरकार से जो प्रस्ताव हमें आना है, जिस दिन भी यह प्रस्ताव हमारे पास आ जाएगा, हमने पहले से ही यह एश्योरेंस दिया है कि धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। जैसाकि छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने दस हजार पांच सौ फुट बनाने की बात कही है, उसमें तीन सौ एकड़ जमीन की जरूरत है। उसमें जो खर्च है, उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि अभी सात हजार पांच सौ फुट ही बनाएंगे। भोपाल के अंदर भी सात हजार पांच सौ फुट ही बनाएंगे। जैसे ही राज्य सरकार जमीन एक्वायर करके हमें बताएगी, हम इस काम को शुरू कर देंगे। आदरणीय सदस्य ने जहां तक वहां की सेवा की बात कही है, हम उस पर विचार करेंगे और अभी नागपुर से रायपुर फ्लाइट जाती है। भोपाल से रायपुर फ्लाइट जाएगी, कितने पैसेंजर्स मिलेंगे, इसकी स्टडी कराएंगे तभी हम इस पर जवाब देने की स्थिति में होंगे।

श्री सभापति : श्री राजीव शुक्ल।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, इस संबंध में हमें एक होकर क्रिकेट टीम की सराहना करनी चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए। 17 वर्षों के बाद दूसरा अवसर है। राजीव शुक्ल जी मैनेजर थे।

श्री सभापति : बहुत-बहुत मुबारक हो।

श्री राजीव शुक्ल : सभापति जी, देश के जो चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनके अपग्रेडेशन के साथ-साथ उनके प्राइवेटाइजेशन की बात एक साल से हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चार प्रमुख हवाई अड्डे हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : सभापति महोदय, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके लिए अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है, एबी-320 के लिए रनवे तैयार हो सके, यह तभी संभव है जब राज्य सरकार, एयरपोर्ट अथोरिटी उसके लिए वांछित जमीन उपलब्ध कराएगी। मामला तीन के बीच में है। एक एयरपोर्ट अथोरिटी, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री कैलाश जोशी जी ने कहा कि . . .**(व्यवधान)** . . .

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Action against tax defaulters

*23. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' : Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 5049 given in the Rajya Sabha on 14th May, 2002 and state:

(a) what specific action has been initiated against the tax defaulters and when;

(b) the amount payable by these companies individually and since when;

(c) what is the extent of penalty in terms of amount and whether at any time any penal amount has been waived; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) After creation of demand, action under section 221 of the IT Act was taken against these companies in October, 2001. Necessary penalty proceedings have also been initiated and prosecution launched in March, 2002. In the case of one of the defaulters, notice under section 221 was issued in January, 2002.

(b) The amount payable will be established after finalisation of the cases.

(c) No penal amount has been waived at any stage. Penalty is determined after finalisation of case.

(d) Does not arise as no penalty has been waived at any stage.

Behaviour of Marshals in the flights

*24. SHRI P. PRABHAKAR REDDY:
SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Covernment's attention has been drawn to the news-item